कार्यालय उप शासन सचिव
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
क्रमांक 660264
दिनांक 07-09-20

सत्यमेव जयते

कार्यालय शासन सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
क्रमांक 3911
दिनांक 04-9-2020

मंत्रिमण्डल की आज्ञा

98/2020

दिनांक 2 सितम्बर, 2020 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक प. 7(11)राजमेस/एकेड/एम.बी.बी.एस.फीस/2018 दिनांक 25.08.2020 पर विचार–विमर्श कर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, झालावाड मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सोसायटी तथा राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी (राजमेस) के द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में एनआरआई कोटे की सीटों के लिये एक मुश्त फीस प्राप्ति के स्थान पर सेमेस्टर वाईज फीस प्राप्ति किये जाने संबंधी प्रस्ताव के बिंदु संख्या 1 से 5 को स्वीकृत करते हुए, अनुमोदन किया गया।

JSME
Dir. Rajmes

VC
4/9/2020

(राजीव स्वरूप)
मुख्य सचिव

शासन सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग।

डी. 98/मं.मं./2020
जयपुर, दिनांक: 3 सितम्बर, 2020

Scanned with
CamScanner

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रप–1) विभाग

क्रमांक प.7(11)राजमेस/एकेड/एम.बी.बी.एस. फीस/2018 जयपुर, दिनांक: 10.9.2020

आदेश

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, झालावाड मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सोसायटी तथा राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी (राजमेस) के द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में एनआरआई कोटे की सीटों के लिये निर्धारित फीस प्राप्ति के पूर्व के समस्त आदेशों के अतिक्रमण में मंत्रिमण्डलीय आज्ञा संख्या 98/2020 दिनांक 03.09.2020 के अनुसरण में शैक्षणिक वर्ष 2020–21 से एक मुश्त फीस के स्थान पर सेमेस्टर वाईज फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

शैक्षणिक वर्ष 2020–21 से प्रारंभ होने वाले बैच से प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की राशि।	30,000 USD (प्रवेश के समय)
शैक्षणिक वर्ष 2020–21 से प्रारंभ होने वाले बैच से तीसरे सेमेस्टर से अंतिम सेमेस्टर तक शेष रहे 7 सेमेस्टरों की राशि।	15,000 USD प्रति सेमेस्टर (सेमेस्टर प्रारंभ होने पर)

1. वर्ष 2020–21 के बैच के उपरांत प्रवेश लेने वाले प्रत्येक आगामी बैच से सम्पूर्ण एम.बी.बी.एस. कोर्स के 9 सेमेस्टर की संकलित फीस में 5 प्रतिशत की दर से बढोतरी करते हुए फीस प्राप्त की जावेगी।
2. भारतीय रूपये में फीस राशि का निर्धारण सेमेस्टर प्रारम्भ होने की दिनांक (यथा 1 अगस्त/1 फरवरी) को यू.एस. डॉलर (USD) के प्रचलित मूल्य के अनुसार निकटतम रूपये 100/– तक किया जावेगा।
3. छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम को बीच में ही छोडे जाने पर शेष सेमेस्टरों की प्राप्त होने वाली फीस राशि के बराबर राशि जमा कराने का बॉण्ड लिया जावेगा।
4. यह प्रावधान राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की भविष्य में सृजित होने वाली एन.आर.आई. कोटे की सीटों के लिये भी लागू होगा।

10.9.2020
o/c (सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4. निजी सचिव, आयुक्त निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा।
5. निजी सचिव, निदेशक, राजमेस जयपुर।
6. डीन, झालावाड मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, झालावाड।
7. समस्त प्रधानाचार्य नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
8. एसीपी, चिकित्सा शिक्षा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

10.09.2020
o/c वरिष्ठ उप शासन सचिव

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 08(04)एम.ई./ग्रुप-1/2022-03912 जयपुर, दिनांक 01.10.2025

आदेश

1. मंत्री मंडल आज्ञा संख्या 98/2020 दिनांक 03.09.2020 के अनुसरण में राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS पाठ्यक्रम में NRI कोटे की सीटों के लिए वार्षिक फीस 30,000 USD तय की गई थी।
2. उक्त आज्ञा में यह भी प्रावधान था कि 2020-21 के बाद हर आगामी शैक्षणिक सत्र से फीस में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। जिसके चलते वर्ष 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए फीस की राशि 38,288 US डॉलर वार्षिक बनती है जो कि वर्तमान विनिमय दर के अनुसार रुपये में 33,96,166/- है।
3. राज्य सरकार द्वारा इसमें जन सामान्य को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्री मंडल आज्ञा क्रमांक 120/2025 दिनांक 23.09.2025 के अनुसरण में NRI कोटे की वार्षिक फीस को कम करते हुए मैनेजमेंट कोटे की फीस का **ढाई गुणा** निर्धारित किया गया है।
4. शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राजमेस द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS हेतु मैनेजमेंट कोटे की फीस 9,57,191/- रुपये हैं। अतः इसे ढाई गुणा करते हुए NRI सीट की फीस 23,92,978/- रुपये निर्धारित की जाती है।
5. पूर्व में NRI कोटे की फीस US डॉलर में आंकी जाती थी। जबकि अब से यह फीस भारतीय रुपये में ही ली जायेगी। जिसे कोई भी NRI किसी भी विदेशी मुद्रा को वर्तमान विनिमय दर पर भारतीय रुपये में विनिमय कर जमा करा सकेगा।
6. मैनेजमेंट कोटे की फीस में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि होती है। अतः NRI कोटे की फीस में भी प्रति शैक्षणिक सत्र स्वतः ही 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
7. जिस भी छात्र ने किसी एक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लिया है उसकी फीस पूरे MBBS के साढे चार वर्ष में समान रहेगी बढ़ेगी नहीं।
8. जिन विद्यार्थियों ने प्रथम एवं द्वितीय चरण की 2025-26 की स्टेट काउंसलिंग में पूर्व निर्धारित (अधिक) शुल्क पर प्रवेश लिया है उनकी अन्तर-राशि उनके अगले शैक्षणिक सत्र की फीस में समायोजित कर दी जायेगी।
9. प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष की फीस एकमुश्त ली जाएगी व अगले साढ़े तीन साल में तीसरे सेमेस्टर से अन्तिम सेमेस्टर तक शेष रहे सेमेस्टर की फीस उपरोक्त वर्णित वार्षिक फीस का 50 प्रतिशत सेमेस्टर प्रारंभ होने से पहले देय होगी।
10. राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं RUHS College of Medical Science की NRI कोटे की फीस पूर्व की भांति यथावत रहेगी।

उपरोक्त आदेश चिकित्सा शिक्षा ग्रुप-1 के आदेश दिनांक 10.09.2020 एवं समसंख्यक आदेश 28.09.2025 के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

Signature valid
Digitally signed by Shiv Shankar Agrawal
Designation: Deputy Secretary
Date: 2025.10.02 [illegible] IST
Reason: Approved

(शिव शंकर अग्रवाल)
उप सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

Scanned with CamScanner

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION

Tele:- 0141-2601726, E-Mail Id: - directormedicaleducation@gmail.com, adddir.dme-rj@gov.in

F.7(6)NRI/ DME/Acad./2017/ Dated:

ORDER

For admission under NRI Quota in Medical / Dental (UG/PG) Courses in the colleges of the State of Rajasthan, the following directions in addition to earlier directions issued for future admissions:-

1- **For NRI belong to the State of Rajasthan :-** The Proof of residence will also be applicable for the consideration priority for NRI Quota in place of the candidate who belongs to other State.

Priority shall be given to the NRI with ancestral back ground of the State of Rajasthan by own/ parents / Grandparents resided in State of Rajasthan at least for a period of 5 years at any time. For which documents (Electricity /water bill/ Documents of immovable property/ Indian Passport/ Ration Card /Voter ID/Aadhar Card etc.) to the effect for this criteria is required to be submitted by ward of NRI (including PIO / OCI).

Firstly allotments of NRI quota in UG and PG seats shall be allotted to candidate having ancestral back ground of the State of Rajasthan by own/ parents / Grandparents resided in State of Rajasthan at least for a period of 5 years. Later on remaining Vacant NRI seats may be allotted / filled by the candidates of NRI belong to other states.

2- **For PIO / OCI** (Oversees Citizen of India (OCIs), Persons of Indian Origin (PIOs)):- Oversees Citizen of India (OCIs), Persons of Indian Origin (PIOs) are allowed for admission under NRI Quota in UG and PG (Medical /Dental) courses in the State of Rajasthan.

This will be applicable from the session 2018-19 & onwards.

sd

(B. K. Agrawal)
Addl. Director (Admn.)
Cum Joint Secretary

F.7(6)NRI/ DME/Acad./2017/ 141 Dated: 10/01/2018

Copy for information and necessary action to:

1- SA to Hon'ble Health Minister, Medical Education Government of Rajasthan.
2- The Secretary to the Govt. Of India , Ministry of Health & Family Welfare, Department of Health and Family Welfare, Nirman Bhawan New Delhi-110108
3- P.S. to Secretary, Medical Education Department, Jaipur.
4- Addl. Director(ME), Directorate of Medical Education, Jaipur
5- Registrar, RUHS, Jaipur is requested to make necessary amendment in the concerned ordinances accordingly.
6- Dr. Pradeep Jain, Convener, NEET UG counseling Board 2017 & Professor, RUHS College of Dental Sciences, Jaipur.
7- Convener, NEET PG counseling Board 2017 & Principal & Controller, SMS Medical College, Jaipur
8- All Principals, Government Medical / Dental Colleges in the State of Rajasthan.
9- All Principals, Private Medical / Dental Colleges in the State of Rajasthan.
10- Guard File.

Addl. Director (Admn.)
Cum Joint Secretary

E:/Sunilpc 2 Folder / 2016/sunilenglish 2016

Scanned with CamScanner